सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं .NCST/DEV-948/JH/3/2022-ESDW **दिनांक : 20.12.2024**

सेवा मे,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त, धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद -826001,झारखंड
ई-मेल: dc-dha@nic.in

विषय: अधिग्रहित ज़मीन के मुआवजे का भुगतान अविलंब करने के संबंध में-श्री मिहिलाल हांसदा, पिता स्वर्गीय छोटू हांसदा, ग्राम-कारिदग्धो पडरिया, पोस्ट-कारभाटाड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखण्ड-828403 का दिनांक 24.09.2022 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
ई-मेल : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सूचनार्थ:

श्री मिहिलाल हांसदा,
पिता स्वर्गीय छोटू हांसदा,
ग्राम-कारिदग्धो पडरिया, पोस्ट-कारभाटाड,
थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखण्ड-828403

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-948/JH/3/2022-ESDW

मौजा भीमकनाली (मौजा नं. 76, खाता नं. 41 एवं 5) के अधिग्रहित भूमि (बीसीसीएल एल.ए. केस संख्या 14/82-83 एवं 36/83-84) का मुआवजा भुगतान के संबंध में श्री मिहिलाल हांसदा, पिता स्वर्गीय छोटू हांसदा, ग्राम-कारिदग्धो पडरिया, पोस्ट-कारभाटाड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखण्ड की शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	03/12/2024 को 11:15 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायत दिनांक 24.09.2022 श्री मिहिलाल हांसदा से आयोग में प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि धनबाद जिले के भीमकनाली मौजा में स्थित खाता संख्या 41 एवं 5 की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे बीसीसीएल द्वारा एल.ए. केस संख्या 14/82-83 एवं 36/83-84 के तहत अधिग्रहित किया गया था। भू-अर्जन न्यायाधीश द्वारा मुआवजा आदेश पारित होने के बावजूद, प्रभावित परिवार को आज तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है। यह मामला एक आदिवासी गरीब परिवार के मुआवजे और नियोजन के अधिकारों से संबंधित है, जो विगत कई वर्षों से अधिकारियों के पास लगातार पत्राचार के बावजूद लंबित है। अतः यह निवेदन है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर मुआवजा भुगतान एवं नियोजन सुनिश्चित किया जाए।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त , धनबाद , झारखण्ड को आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 02.05.2023 भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ बीसीसीएल से उत्तर / रिपोर्ट दिनांक 27.05.2023 प्राप्त हुई ।

3. मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट/उत्तर संतोषजनक नहीं पायें जाने पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 03.12.2024 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

4. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, तथा शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे। मामले में **L.A Case No. 14/82-23** एवं **36/83-84** के **L.A Ref. Case No. 52/2002** में दिनांक **31.05.2005** को आदेश पारित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता को **1,02,198.51** रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। इसके संदर्भ में, दिनांक **18.07.2023** को चेक के माध्यम से उपरोक्त राशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया।

5. मुआवजे की राशि में हुई विलंब के कारण जो आर्थिक लाभ शिकायतकर्ता को उपरोक्त राशि के रूप में मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। भूमि के अधिग्रहण से लेकर मुआवजे के वितरण के बीच लगभग 40 वर्षों की देरी हुई। हालांकि

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु इस देरी से शिकायतकर्ता के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उसके अधिकारों का उल्लंघन होना प्रतीत होता है।

6. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. शिकायतकर्ता को 40 वर्षो की देरी से भुगतान करने के कारण प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ से वंचित होना पाया गया है अत : मुआवजे वितरण/भुगतान पर विधिसम्वत पुन : विचार किया जाए | इस विषय पर बी.सी.सी.एल. (B.C.C.L.) एवं जिला प्रशासन, धनबाद को एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समन्वय स्थापित करके मामले का शीघ्र निपटान करें ।

ii. मामले में, शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बी.सी.सी.एल. (B.C.C.L.) और जिला प्रशासन, धनबाद के द्वारा समन्वय स्थापित करके रोजगार संबंधित अवसर प्रदान किए जाए, जिससे शिकायतकर्ता के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आयोग को भेजने की व्यवस्था करें |

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi